रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1178] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2008/श्रावण 27, 1930

No. 1178] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2008/SRAVANA 27, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2008

का.आ. 2057(अ).— केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए पुडुचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

1	सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी	अध्यक्ष
2	निदेशक , मत्स्य विभाग पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी	सदस्य
3	चीफ टाउन प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी	सदस्य

4	प्रो0 आर रमेश निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ ओश्यन मैनेजमेंट (आई ओ एम) अन्ना *विश्वविद्यालय,* चैन्ने	सदस्य
5	डा0 टी सुंदराजन, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पांडिचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी	सदस्य
6	थिरु जर्जन पुज निदेशक, पलमीरा, पारिस्थितिकीय लैंडयूज केन्द्र, जल प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास , आंरोविल, तमिलनाडु	सदस्य
7	सदस्यसचिव, पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति,पुडुचेरी	सदस्य - सचिव

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात.-

(i)(पुडुचेरी संघ *शासित* क्षेत्र से तटीय *विनियमन* जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध *योजना* के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना ;

(ii)(क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

बशर्ते कि इस उप-पैरा II के उपखंड (क) और (ख) के अधीन आने वाले मामलों को स्वत: स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थतिकीय दृष्टि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि से लिए अत्यधिक संवदेनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII प्राधिकरण, उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि पुडुचेरी की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं ।

IX प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

X प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहें ।

XI प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे ।

XII प्राधिकरण का मुख्यालय पुडुचेरी में स्थित होगा ।

XIII कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण देखेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आई ए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 11th August, 2008

S.O. 2057(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Puducherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

1.	Secretary, Department of Environment, Government of Puducherry, Puducherry	Chairman
2.	Director, Department of Fisheries Government of Puducherry, Puducherry	Member
3.	Chief Town Planner, Town and Country Planning Department Government of Puducherry, Puducherry	Member
4.	Prof. R. Ramesh, Director, Institute of Ocean Management (IOM) Anna University, Chennai	Member
5.	Dr. T. Sundararajan, Department of Civil Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry	Member
6.	Thiru Jurgen Putz, Director, Palmyra, Centre for Ecological Landuse, Water Management and Rural Development, Auroville, Tamil Nadu	Member
7.	Member Secretary, Puducherry Pollution Control Committee Puducherry	Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Puducherry, namely: —

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Puducherry Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Puducherry Union Territory Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV,V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Puducherry.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII. The Authority shall have its headquarters at Puducherry.

XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-5/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2008

का.आ. 2058(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए अंडमान एवं निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

1	सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष
2	निदेशक , मत्स्य विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन	सदस्य
3	सचिव, स्थानीय स्व-शासन विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	सदस्य

4	डा0 प्रणवेश सान्याल (भा0व0सेवा) सेवानिवृत्त, एवं प्रो0 एमरिटस, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	सदस्य
5	प्रो0 आर रमेश निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ ओश्यन मैनेजमेंट (आई ओ एम) अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नै	सदस्य
6	अध्यक्ष अंडमान निकोबार पर्यावरण टीम (एएनईटी) पोर्टब्लेयर	सदस्य
7.	वन संरक्षक,(विकास एवं उपयोगिता) नोडल अधिकारी (तटीय विनियमन जोन)	सदस्य / सचिव

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा अंडमान एवं निकोबार राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात:-

(i)(अंडमान एवं निकोबार राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना ;

(ii)(क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

बशर्ते कि इस उप-पैरा II के उपखंड (क) और (ख) के अधीन आने वाले मामलों को स्वत: स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना ।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थतिकीय दृष्टि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि से लिए अत्यधिक संवदेनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि पश्चिम बंगाल की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं ।

IX. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

X. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहें ।

XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे ।

XII. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा ।

XIII. कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण देखेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आई ए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

ORDER

New Delhi, the 11th August, 2008

S.O. 2058(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

1.	Secretary, Department of Environment and Forests Andaman and Nicobar Administration	Chairman
2.	Secretary Department of Fisheries Andaman and Nicobar Administration	Member
3.	Secretary, Department of Local Self Government, Andaman and Nicobar Administration	Member
4.	Dr. Pranabesh Sanyal, IFS (Retd) and Prof. Emeritus, Jadavpur University, Kolkata	Member
5.	Prof. R. Ramesh, Director, Institute of Ocean Management (IOM) Anna University, Chennai	Member
6.	Head, Andaman Nicobar Environment Team (ANET), Port Blair	Member
7.	Conservator of Forests (Development and Utilization), Nodal Officer (Costal Regulation Zone)	Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Andaman and Nicobar, namely: —

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Andaman and Nicobar Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andaman and Nicobar Union Territory

Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV,V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andaman and Nicobar.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII. The Authority shall have its headquarters at Port Blair.

XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-5/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.